न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय – 02, गाजियाबाद।

सत्र परीक्षण सं०– 959/2022
मु०अ०सं०– 1183/2022
अंतर्गत धारा– 354, 452, 323, 506, 376, 377, 328, 342, 120–b IPC
थाना कविनगर, जिला गाजियाबाद।
सरकार बनाम बंटी।

दिनांकः–30.01.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित हैं। अभियुक्त अनुपस्थित है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि थाना कविनगर द्वारा अभियुक्त बंटी पुत्र नैपाल सिंह हेतु निर्गत आदेशिकायें प्रपत्र सं० 12–ख इस आशय की आख्या के साथ वापस न्यायालय को प्राप्त करायी गयी है कि उ०नि० हरजेन्द्र सिंह थाना कविनगर द्वारा सम्मन साक्षी की तामील की गयी, तो मुझ उ०नि० द्वारा मृत्यु आख्या की रिपोर्ट हतेु आदेशित किया गया है। प्रस्तुत आदेश के अनुपालन में साक्षी के परिजनों द्वारा दि० 11.12.2023 को मृत्यु हो गयी है। लोक नायक अस्पताल नई दिल्ली द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति साथ में संलग्न है। उक्त के साथ लोक नायक अस्पताल नई दिल्ली द्वारा अभियुक्त बंटी पुत्र नैपाल सिंह की मृत्यु के संबंध में निर्गत प्रमाणपत्र (छायाप्रति) प्रपत्र सं० 9–ख/2 संलग्न है। तामीलकर्ता हरजेन्द्र सिंह का साक्ष्य बतौर सी०डब्लू० 01 दिनांकित 30.01.2024 को अंकित किया गया है, जिसके द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र को प्रदर्श ख–1 व तामीला रिपोर्ट को प्रदर्श ख–2 के रुप में साबित किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत सत्र परीक्षण सं०– 959/2022, मु०अ०सं०– 1183/2022 थाना कविनगर, जिला गाजियाबाद, सरकार बनाम बंटी में उपरोक्त बंटी पुत्र नैपाल एकमात्र अभियुक्त है। अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। अतः प्रस्तुत वाद अभियुक्त के विरुद्ध उपशमित किये जाने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण सं०– 959/2022, मु०अ०सं०– 1183/2022 थाना कविनगर, जिला गाजियाबाद, सरकार बनाम बंटी, विरुद्ध अभियुक्त बंटी पुत्र नैपाल की कार्यवाही अभियुक्त बंटी के विरुद्ध उपशमित की जाती है। अन्य कोई कार्यवाही शेष न रहने की कारण पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित की जाये।

दिनांकः–30.01.2024

(निशान्त मान)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय–द्वितीय, गाजियाबाद।